

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1890/2025

Assistant Engineer

----Appellant

Versus

Manoharlal S/o Ramkalyan

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Sagar Jindal

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/12/2025

यह सिविल प्रथम अपील अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय जिला न्यायाधीश, जिला-झालावाड़ द्वारा दीवानी वाद संख्या 05/2023 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 24.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध तथा प्रत्यर्थी वादीगण के पक्ष में 05,74,000 रुपये की डिक्री पारित की गई है।

अपील की ग्राह्यता पर सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह सिविल प्रथम अपील सुनवाई हेतु विचारणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी हों।

अभिलेख तलब किया जाए।

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 5052/2025 पर सुना गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में **सम्पूर्ण** डिक्रीशुदा राशि **दो सप्ताह** की अवधि में जमा करवाये जाने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

इस आदेश की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि में से **तीन लाख रुपये की राशि** प्रत्यर्थी-वादीगण को

इन तथ्यों का वचन (Undertaking) प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थीगण इस अपील में सफल होते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थीगण को **7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **एक माह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे।

शेष राशि, प्रथमतः **एक वर्ष** के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तथा तत्पश्चात अपील के निस्तारण तक नियमानुसार उसका समय-समय पर नवीनीकरण (auto-renewal) कराया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बिना उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J